अध्याय 9

औद्योगिक विकास

दिल्ली में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र से संचालित होता है और यह आय में तेज वृद्धि का आधार उपलब्ध कराता है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां व्यापार संवर्द्धन के लिए उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना, ज्ञान आधारित और हाइटेक सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए एक सुचारू वातावरण और संपर्क संचार सुविधाएं हैं। दिल्ली देश के सर्वाधिक सक्रिय वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्रो में है। यहां की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग तिगुना है। दिल्ली एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण भी है, साथ ही यहां गली पटरी की सस्ती दुकानों से लेकर बड़े बड़े ब्रैंड के आलीशान शोरूम सहित खरीदारी के विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध हैं।

1.2 वृद्धि सांख्यिकी

- नीति आयोग– ''एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021–22'' के अनुसार, दिल्ली सतत विकास लक्ष्यों–एसडीजी में देश में अग्रिम वाहक श्रेणी में आता है।
- दिल्ली, व्यवसाय सुधार कार्ययोजना स्कीम के अंतर्गत अच्छी प्रगति और 2020 में ''उभरता व्यवसाय पारिस्थतकी तंत्र श्रेणी में ''आता है।
- दिल्ली ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना स्कीम के तहत अच्छी प्रगति की और 2019 में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर रहा।

1.3 बुनियादी ढांचा विवरण

- दिल्ली में बुनियादी ढांचा और संस्थागत स्थापना का सृजन और पुनर्विकास दिल्ली राज्य औद्योगित और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शहर के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के जरिये हुआ है।
- दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और चार स्पष्ट फैक्ट्री परिसर हैं और राज्य सरकार ने पुनर्विकास के लिए 25 नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र अधिसूचित किये है।

2. छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रतिष्ठानों और रोजगार का विकास

2.1 छठी आर्थिक गणना 2013 के अनुसार दिल्ली में कुल 8.75 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे। इनमें से 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना के अनुसार वार्षिक विकास दर 1.94 प्रतिशत दर्ज की गयी और 2005 में हुई पांचवी आर्थिक गणना के मुकाबले छठी आर्थिक गणना में 1.18 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 54.55 प्रतिशत ओन एकाउंट उद्यम (ओएई) थे और 45.45 प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम एक काम पर रखा श्रमिक {प्रतिष्ठान (एच)} था। 30.20 लाख लोग 8.75 लाख प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक प्रतिष्ठान में औसतन 3.45 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से 0.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे और 99.1

प्रतिशत दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 8.05 प्रतिशत का प्रबंधन महिला उद्यमियों के पास था।

2.2 निम्नांकित चार्ट 9.1 में पांचवी (2005) और छठी (2013) आर्थिक गणना के अनुसार 2005–13 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इनमें नियुक्त कामगारों की संख्या दर्शायी गयी है:

चार्ट–9.1

प्रतिष्ठानों और रोजगार में वृद्धि

(लाख में)

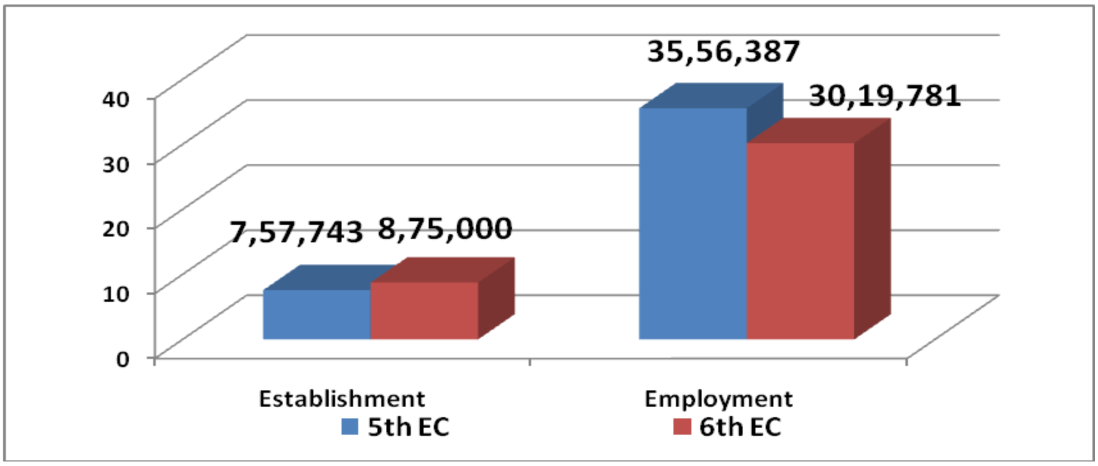

उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट करता है कि पांचवीं से छठी आर्थिक गणना की अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठानों की संख्या 7,57,743 से बढ़कर 8,75,000 हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या 35,56,387 से घटकर 30,19,781 पर आ गई है। ऐसा सख्त प्रदूषण नियमों सहित अन्य अनेक कारणों से बड़े पैमाने पर रोजगार वाले प्रतिष्ठान दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों/राज्यों में चले जाने से हुआ है।

2.3. छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नांकित है।

विवरण 9.1

जिले	प्रतिष्ठान की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	1,50,671	5,99,058
पश्चिम	1,06,726	3,13,574
उत्तर–पश्चिम	93,297	2,86,189
उत्तर–पूर्व	86,597	1,83,313
पूर्व	80,061	2,15,979
दक्षिण–पूर्व	75,049	3,52,562
उत्तर	73,724	3,18,960
शाहदरा	71,738	2,29,663
दक्षिण	57,126	1,45,304
दक्षिण–पश्चिम	42,166	1,05,954
नई दिल्ली	38,153	2,69,225
कुल	**8,75,308**	**30,19,781**

विवरण 9.2

मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	द्वितीयक क्षेत्र प्रतिशत हिस्सेदारी	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
2011-12	3.49	13.09	83.42
2012-13	2.93	14.17	82.90
2013-14	3.29	14.07	82.64
2014-15	2.79	12.26	84.95
2015-16	2.09	13.62	84.29
2016-17	1.70	13.48	84.82
2017-18	1.67	13.8	84.53
2018-19	2.08	13.45	84.47
2019-20 (तीसरा स.अ,)	1.95	12.54	85.51
2020-21 (दूसरा स.अ.)	1.87	12.15	85.98
2021-22 (पहला स.अ.)	2.31	12.92	84.78
2022-23 (अ. अ.)	2.63	12.53	84.84

टिप्पणी : **तीसरा स.अ,**– तृतीय संशोधित अनुमान, **दूसरा स.अ.**– दूसरा संशोधित अनुमान, **पहला स.अ.)** – प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.)– अग्रिम अनुमान

2.4 वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 के लिए मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए का अग्रिम अनुमान और पहला संशोधित अनुमान स्पष्ट करता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (फसल, पशुधन, वानिकी और लकड़ी, मत्स्य पालन, खदान और उत्खनन) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 3.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में दोनों वर्षों में कम होकर 2.31 प्रतिशत और 2.63 प्रतिशत रह गया है।

2.5 मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए स्पष्ट करता है कि द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर 2022–23 (अग्रिम अनुमान) में 12.53 प्रतिशत हो गया है।

2.6 अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्त्रा, रेलवे, परिहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं) के योगदान में मामूली वृद्धि हो रही है। मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था जो वर्ष 2021–22 (पहला संशोधित अनुमान) और वर्ष 2022–23 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 84.78 प्रतिशत और 84.84 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 9.2

राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी (मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित)

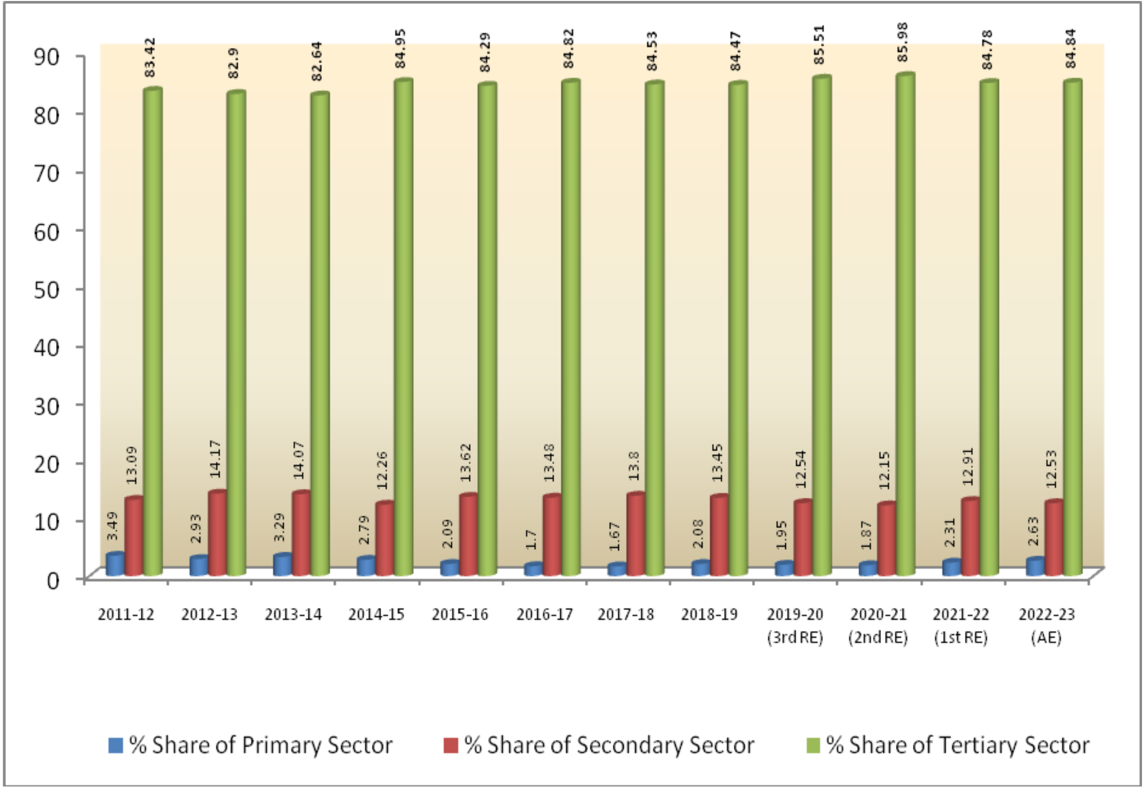

3. विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में योगदान

3.1 विनिर्माण उपक्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करता है। विनिर्माण से जीएसवीए मौजूदा मूल्यों पर वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 के दौरान क्रमशः 36,954 करोड़ और 39,897 करोड़ रहने का अनुमान है। पूर्व वर्ष के अनुमानों की तुलना में 22.04 प्रतिशत और 7.97 प्रतिशत की संबंधित वार्षिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नियत मूल्यों पर जीएसवीए वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 में क्रमशः 28,779 करोड़ रुपए और 29,195 करोड़ रुपए है, पूर्व वर्षों की तुलना में इसमें 11.03 प्रतिशत और 1.44 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। अनुमानों के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर 2021–22 के लिए एनएसवीए 32,301 करोड़ रुपए है, पिछले वर्ष की तुलना में 25.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियम मूल्यों पर पिछले वर्ष के मुकाबले 12.24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 25,049 करोड़ रुपए। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार एनएसवीए मौजूदा मूल्यों पर 35,043 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष के मुकाबले 8.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियत मूल्यों पर यह पिछले वर्ष के मुकाबले 1.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,336 करोड़ रुपए था।

3.2 विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) का विवरण 9.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.3

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विनिर्माण	द्वितीयक क्षेत्र	प्राथमिक मूल्यों पर कुल जीएसवीए	बाजार मूल्य पर कुल जीएसडीपी	विनिर्माण की प्रतिशत हिस्सेदारी		जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
					कुल जीएसवीए	द्वितीयक क्षेत्र का कुल जीएसवीए	
2011-12	18907	39682	303232	343798	6.24	47.65	13.09
2012-13	23350	48498	342588	391388	6.82	48.15	14.17
2013-14	25338	54262	385931	443960	6.57	46.69	14.07
2014-15	23385	53247	434241	494803	5.39	43.92	12.26
2015-16	31195	65194	478782	550804	6.52	47.85	13.62
2016-17	30117	71616	531175	616085	5.67	42.05	13.48
2017-18	30680	80987	586900	677900	5.23	37.88	13.80
2018-19	32192	87160	647839	738389	4.97	36.93	13.45
2019-20 (तीसरा स.अ.)	33637	88310	704369	792911	4.78	38.09	12.54
2020-21 दूसरा स.अ.	30281	81974	674551	763435	4.49	36.94	12.15
2021-22 (पहला स.अ.)	36954	102408	792859	904642	4.66	36.09	12.91
2022-23 (अ.अ.)	39897	114895	916792	1043759	4.35	34.72	12.53

स्रोतः डीईएस द्वारा जीएसवीए अनुमान।

टिप्पणी– (तीसरा स.अ.)– तृतीय संशोधित अनुमान, (दूसरा स.अ.)– द्वितीय संशोधित अनुमान, (पहला स.अ.) प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.)– अग्रिम अनुमान

3.3 विवरण 9.3 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र से आय वर्ष 2011–12 के 18907 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 39897 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से कम होकर 2022–23 (अ.अ.) में 4.35 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 (अ.अ.) में 12.53 प्रतिशत हो गया है।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

दिल्ली में कुल 2,65,990 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें 2,40,996 सूक्ष्म उद्यम, 22,210 लघु और 2786 मध्यम उद्यम हैं।

5. कार्यशील कारखाने

पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत कारखानों की संख्या और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या के आंकड़े विवरण 9.4 में दिये गये हैं।

विवरण 9.4

कारखानो और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	वर्ष	कारखाने	कामगारों की अनुमानित संख्या
1.	2011	8,219	3,78,361
2.	2012	8,557	3,92,270
3.	2013	8,821	4,03,270
4.	2014	8,968	4,16,927
5.	2015	8,954	4,15,278
6.	2016	8,978	4,16,833
7.	2017	9,059	4,20,156
8.	2018	9,121	4,19,578
9.	2019	8,622	4,03,517
10.	2020	8,643	4,04,602

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

विवरण 9.4 से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या 2011 के 8219 से बढ़कर 2020 में 8643 हो गयी है। इसी तरह इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों की अनुमानित संख्या 2011 के 378361 से बढ़कर 2020 में 404602 हो गयी है। दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में प्रति फैक्ट्री औसतन 47 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।

5.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण संबंधी विभिन्न नियम लागू किये जाने के कारण दिल्ली की कई औद्योगिक इकाइयां सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि या तो ये इकाइयां बंद हो गयी हैं या पड़ोसी राज्यों में चली गयी हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ी है।

5.2 2016 से 2021 के दौरान पंजीकृत कारखानों की उद्योगवार संख्या और उनमें कार्यरत कामगारों का ब्यौरा विवरण 9.5 में दिया गया है।

विवरण 9.5

उद्योगवार पंजीकृत कारखाने और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या

क्र स.	उद्योग	कारखाने						अनुमानित कर्मचारी					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	खाद्य उत्पाद	340	345	350	142	141	137	21316	21596	21921	8894	8,849	8,598
2	पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	44	49	53	34	34	36	3134	3176	2981	1913	1,913	2,025
3	टेक्सटाइल उत्पाद	2013	2020	2008	1519	1,514	1,507	140408	140107	138788	104978	1,04,738	1,04,209
4	काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्स	269	269	273	98	97	99	10541	10541	10702	3842	3,800	3,880
5	कागज और कागज उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और अनुषंगी	776	785	795	587	594	595	29997	30249	30608	22600	22,940	22,978
6	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत छोड़ कर)	300	301	303	139	140	145	13054	13085	13182	6047	6,100	6,318
7	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद	662	674	699	754	754	754	14952	15599	15712	16942	16,942	16,942
8	रसायन और रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	290	293	290	173	174	172	11548	11655	11815	7048	7,100	7,019
9	गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	82	82	73	11	12	12	2426	2426	1002	151	250	250
10	बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	519	524	517	775	770	756	8373	8488	7900	11842	11,607	11,396
11	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे मशीनरी और परिवहन उपकरण – इलेक्ट्रिकल उपकरणों सहित मशीन उपकरण	1890	1902	1928	757	760	759	75215	75475	76428	30007	30,154	30,115
12	विद्युत, गैस और स्ट्रीम वाटर वर्क्स और आपूर्ति	109	126	132	195	206	206	6065	6596	6896	10187	10,692	10,692
13	ईंधन, 47 रसायन, परफ्यूमरी, सिरामिक्स ग्लास में थोक व्यापार	91	97	99	0	2	5	650	810	900	0	105	263
14	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	9	9	9	47	47	46	7655	7655	7655	39976	39,976	39,126
15	स्वच्छता सेवाएं	18	20	20	31	31	30	102	590	590	915	915	886
16	पूंजीगत सामान की मरम्मत और मरम्मत सेवाएं	556	563	570	219	224	217	31,431	32,107	32,387	12,441	12,691	12,556
17	विविध अनिर्दिष्ट समूह	1,010	1,000	1,002	3,141	3,143	3,137	39,966	40,001	40,111	1,25,734	1,25,830	12,589
	कुल	**8,978**	**9,059**	**9,121**	**8,622**	**8,643**	**8,613**	**4,16,833**	**4,20,156**	**4,19,578**	**4,03,517**	**4,04,602**	**4,02,733**

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

5.3 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या तीन प्रमुख उद्योग समूहों में पंजीकृत हैं (1) कपड़ा उत्पाद, (2) बुनियादी धातु और मिश्र धातु (3) धातु उत्पाद और कलपूर्जे मशीनरी।

6. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

6.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों अनुसार यदि किसी फैक्टरी में 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (i) के तहत किया जाता है, 20 या इससे अधिक श्रमिकों वाले और विद्युत का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (ii) के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए किया जाता है।

विवरण 9.6

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख संकेतक

क्र. सं	प्रमुख संकेतक	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20** (अनुमानित)
1.	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	3,183	2,980	2,928	2,852	2,639	2,459	2,459	2,355
2.	पूंजी (करोड़ रुपये)								
	अचल पूंजी	10,661	5,903	6,532	6,922	6,973	6,630	7,41,082	6,74,927
ख	कार्यशील पूंजी	8,137	10,722	11,391	9,126	8,990	5,543	5,93,530	6,29,442
ग	कुल	**18,798**	**16,625**	**17,923**	**16,048**	**15,963**	**12,173**	**1,334,612**	**1,304,369**
3.	रोजगार से								
क	कामगार	81,901	76,250	76,697	74,747	75,172	70,414	74,685	70,845
ख	कामगारों भिन्न	44,453	39,481	41,406	39,035	36,604	34,732	35,817	35,589
ग	कुल	**1,26,354**	**1,15,731**	**1,18,103**	**1,13,782**	**1,11,776**	**1,05,146**	**1,10,502**	**1,06,434**
4.	मानव दिवस (लाख में)	376	350	355	343	339	319	335	316
	कुल परिलब्धियां (करोड़ रुपये में)	**2,578**	**2,489**	**2,778**	**2,793**	**2,897**	**2,910**	**3,33,505**	**3,42,728**

स्रोतः दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका

7. औद्योगिक एस्टेट :

7.1 औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों का परिचालन और रखरखावः–

दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लैटिड फैक्टरी परिसर हैं। इसके अलावा 25 नॉन–कन्फर्मिंग औद्योगिक बस्तियों को विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के तहत सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रखे जाने के लिए 28 मार्च 2011 को दिल्ली औद्योगिक विकास परिचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया।

7.2 4 फ्लेटिड फैक्टरी परिसर सहित 33 अद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 24 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को सौंपे गए हैं। इन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है और शेष 12 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डीडीए के पास (क्योंकि इन्हें अभी डीएसआईआईडीसी को स्थानांतरित नहीं किया गया है)। इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और विभिन्न प्रकार के जुर्माने/प्रभार लगाने का अधिकार डीडीए या संबंधित एमसीडी के पास है।

7.3 12 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट/एफएफसी का लीज प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से औद्योगिक स्टेट प्रबंधन संभाग डीएसआईआईडीसी द्वारा देखा जाता है। 13 वर्ष (2013–14 से 2026 तक) की अवधि के दौरान सभी प्रकार के प्रबंधन सेवा और विकास के लिए नरेला और बवाना क्षेत्र का प्रबंधन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में डीएसआईआईडीसी द्वारा दो कंसेशनरी के माध्यम से किया जा रहा है।

7.4 चार औद्योगिक क्षेत्रों–मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 और 2, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 और जीटीके औद्योगिक क्षेत्र में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का काम लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो गया है। कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 (शेष कार्य) में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का कार्य 52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किए जाने का दायित्व डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

7.5 रिहायसी क्षेत्रों से उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के फेज–2 का विकास डीएसआईआईडीसी द्वारा भोरगढ़ में 431.50 एकड़ के क्षेत्र में वर्ष 2010 में किया गया था।

7.6 भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संकुल विकास के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम–संकुल विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसई–सीडीपी) बनाई है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा आठ औद्योगिक क्षेत्रों/ फ्लैटेड फैक्ट्री की पहचान उन्नयन और पुनर्विकास के लिए की गई है। 6 औद्योगिक क्षेत्रों में पहले चरण का काम पूरा हो गया है और शेष 2 औद्योगिक क्षेत्रों (मुंडका–उत्तरी और नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां) में काम जारी है।

8. नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का विकास

8.1 दिल्ली मास्टर प्लान 21 के अधिसूचना के बाद तीन वर्ष के अंदर 25 नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों के संबंधित सोसायटी / संघ द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाना था। राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 2022–23 के बजट में नॉन कन्फॉर्मिंग औद्योगिक बस्तियों का विकास, योजना तैयारी प्रक्रिया को सब्सिडी और स्थानीय निकायों की अनुमति से किए जाने का प्रावधान है।

8.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के रोजगार बजट प्रस्ताव के अनुरूप नॉन कन्फॉर्मिंग औद्योगिक/गोदाम क्लस्टरों की पुनर्विकास योजना को मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद वर्तमान नॉन कन्फॉर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाना है।

9. दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)

9.1 दिल्ली वित्त निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नई औद्योगिक इकाईयां और साथ ही वर्तमान इकाईयों की शिफ्टिंग, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण और पुनर्वास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन इकाईयों को प्रौद्योगिकी के उन्नयन, जिनसे बिजली की कम खपत और उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा मिले और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों इत्यादि के लिए भी ऋण दिया जाता है। डीएफसी छोटे सड़क परिवहन संचालकों को वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी ऋण देता है। दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए डीएफसी ऋण देकर औद्योगिक इकाईयों को नए स्थान पर लगाए जाने में भी मदद करता है।

9.2 पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निगम के प्रदर्शन से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 9.7

दिल्ली वित्त निगम का कार्यनिष्पादनः वर्ष 2017–18 से 2021–2022 तक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरित राशि
2017-18	24.28	25.25
2018-19	0.80	0.79
2019-20	0.87	0.15
2020-21	0.17	0.58
2021-22	3.31	2.79

10. हॉफ–ए–मिलियन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित औद्योगिक शेड

डीएसआईआईडीसी ने भारत सरकार द्वारा 1973–74 में शुरू हॉफ–ए–मिलियन रोजगार कार्यक्रम लागू करने के लिए विभिन्न औद्योगिक परिसरों में 840 औद्योगिक शेडों का निर्माण किया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 9.8

हॉफ–ए–मिलियन रोजगार' कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक शेड्स

क्र. सं	परिसर का नाम	शेड की संख्या
1.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज एक	232
2.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/एक	112
3.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/दो	34
4.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/तीन	59
5.	वजीरपुर औद्योगिक परिसर	103
6.	लॉरेंस रोड औद्योगिक परिसर	90
7.	झिलमिल ताहिरपुर औद्योगिक परिसर,	33
8.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर, फेज–1	177
	कुल	**840**

11. स्व–वित्त पोषण योजना के तहत शेड्सः

डीएसआईआईडीसी ने स्व–वित्त पोषण योजना के अंतर्गत भी 456 औद्योगिक शेड्स का निर्माण निम्नांकित स्थलों पर किया है।

विवरण 9.9

स्व वित्त पोषण योजना के तहत औद्योगिक शेड्स

क्र सं	परिसर का नाम	शेड्स की संख्या	स्वीकृत उद्योग
1.	कीर्ति नगर पैकिंग परिसर	226	टिम्बर और पैकिंग से संबंधित
2.	मंगोलपुरी इंजीनियरिंग परिसर	94	लाइट इंजीनियरी
3.	ओखला कम्प्यूटर परिसर	31	कम्प्यूटर से संबंधित
4.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर	105	सामान्य

12. साझा बहिस्राव अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), के सहयोग से इस परियोजना का निष्पादन किया है। डीएसआईआईडीसी ने वजीरपुर, मंगोलपुरी, लारेंस रोड, नरेला, बवाना, झिलमिल, बादली, मायापुरी, नांगलोई, ओखला, 13 सीईटीपी– जीटीए औद्योगिक क्षेत्र, अशोक नगर, एसएमए राजस्थानी उद्योग नगर, जहांगीर पुरी और नारायणा में निर्माण पूरा किया है।

13. खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए केंद्र का गठन

डीपीसीसी ने पूरी परियोजना– उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र (टीएसडीएफ) के लिए बवाना में सुरक्षित लैंडफिल (एसएलएफ) भस्मिकरण और संबंधित कारक (23–02–2026 तक वैध) की मंजूरी 04–03–2022 को दी थी। टीएसडीएफ केंद्र बवाना पूरी तरह कार्यरत है।

14. दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी)

14.1 बोर्ड निम्नलिखित दो रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू करता है–

क. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना– इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों, व्यापार, पेशेवरों, कारीगरों इत्यादि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत तीन लाख रुपए की वित्तीय सहायता ऋण रूप में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान की जाती है, जो प्रति उद्यमी 75,00 रुपए तक होना चाहिए।

विवरण 9.10
आरजीएसआरवाई की प्रगति

क्र.स.	मद	उपलब्धियां	
		2020-21	**2021-22**
1.	लक्ष्य (मामलों की संख्या)	20*	25*
2.	मंजूर मामलों का ब्यौरा		
	क. मामलों की संख्या	12	16
	ख. स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)	33.90	45.00
	वितरित किए गए ऋण का ब्यौरा		
	क. प्रदत्त ऋणों संख्या	15	15
	ख. संवितरित राशि (लाख में)	33.837	38.85

*संशोधित अनुमान के अनुसार संशोधित

ख. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

ब्योरा इस प्रकार है :

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थियों का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)	
क्षेत्र (परियोजना स्थलध्इकाई)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक / महिलाएं / पूर्व सैनिक, पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्र इत्यादि)	05%	25%	35%

नोट :–

1) विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए परियोजनाध् इकाई की अधिकतम स्वीकृत लागत 50 लाख रुपए है।

2) व्यवसायध्सेवा क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकृत परियोजनाध् इकाई की अधिकतम लागत 20 लाख रुपए है।

3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्वयं के अंशदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4) विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए यदि कुल परियोजना लागत क्रमशः 50 लाख या 20 लाख रूपए से अधिक होती है तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

i. लाभार्थियों की पहचान कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित 'आपदा' से प्रभावित घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं/घटनाओं से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. दिल्ली में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान पीएमईजीपी के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों और लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 9.11
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र सं	वर्ष	लक्ष्य		बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	
		संख्या	मार्जिन राशि	संख्या	राशि (मार्जिन राशि)
1.	2020-21	96	₹ 287.45 लाख ₹ 12.55* लाख	केवीआईबी 51 केवीआईसी 21 कुल 72	केवीआईबी 74.97 केवीआईसी 70.64 कुल 145.61
2.	2021-22	104 01	226.65 12.55*	केवीआईबी 52 केवीआईसी 45 कुल 97	केवीआईबी 102.51 केवीआईसी 192.10 कुल 294.61

* वर्तमान पीएमईजीपी इकाई (एक परियोजना) के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण।

- विपणन गतिविधियां/प्रदर्शनीः – इसके अलावा, बोर्ड कारीगरों /व्यक्तिगत उद्यमियों को विपणन मंच प्रदान करता है। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों से रद्दी/निराई सामग्री एकत्र करना भी शुरू कर दिया है।

15. नए औद्योगिक क्षेत्रों/केंद्रों का विकासः

15.1 रानीखेड़ा, मुंडका में बहु–स्तरीय विनिर्माण केंद्र का विकासः

रानीखेड़ा– मुंडका में 147 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बहुमंजिली इमारतों के साथ विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से लगभग डेढ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 13 लाख 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन जी टी) द्वारा उपर्युक्त प्लॉट पर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दिए जाने के बाद यह परियोजना निर्णय के अधीन है। डीएसआईआईडीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रोक हटाने की अपील दाखिल की है जो अभी प्रक्रियाधीन है।

15.2 बपरौला दिल्ली में डेटा सेंटर की स्थापना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार बपरौला दिल्ली में लगभग 55.20 एकड़ के औद्योगिक प्लॉट पर डेटा सेंटर बनाना चाहती है। मेसर्स सीबीआरई दक्षिण एशिया प्राइवेट लिमिटेड और टीसीआईएल इस बारे में आरंभिक तकनीकी सहयोग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं।

15.3 कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास

डीएसआईआईडीसी द्वारा कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2008 में लगभग 920 एकड़ जमीन ली गई। नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना में किसानों से साथ माननीय

उच्च/जिला न्यायालय में दाखिल कानूनी भूमि विवाद को लेकर बाधा आई। मौजूदा समय में जमीन के मालिकाना हक को लेकर लगभग 30 एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, हालांकि डीएसआईआईडीसी, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की अनुमति से समुचित औद्योगिक गतिविधि तय करने के लिए सलाहकार नियुक्त कर रही है।

16. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीबीआर)

- डीबीआर में भारत का प्रदर्शन दो शहरों –दिल्ली और मुंबई के आकलन पर आधारित होता है। दिल्ली में कारोबारी माहौल में सुधार के साथ भारत विश्व बैंक की कारोबार में आसानी रैंकिंग में उछाल के साथ 2017 के 130वें स्थान से 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है। यह भारत जैसे विशाल और विविध किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कई व्यापार सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए नियामक व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाया जा रहा है और निवेशक अनुकूल व्यापारिक माहौल सृजित किया जा रहा है।

- डीबीआर 2020 में दिल्ली का प्रदर्शन, व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट और बिजली सुविधा प्राप्त करने और कर भुगतान के संदर्भ में मुंबई से बेहतर रहा है। मुंबई संपत्ति पंजीकरण संकेतक में दिल्ली से आगे रहा है।

17. व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) देश में व्यवसायिक और नियामक व्यवस्थाओं में सुधार के अपने प्रयासों के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से कई सुधार लागू कर रहा है। यह सुधार राज्य सरकारों की भागीदारी से लागू किए जा रहे हैं और उद्योग विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीआरएपी के साथ सहयोग समन्वय कर रहा है।

- कारोबार में आसानी के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना 2014 में लागू की गई और अब तक पांच आंकलन संचालित किए जा चुके हैं। डीपीआईआईटी ने 2020 तक के रैंकिंग जारी कर दिए हैं। नवीनतम आंकलन के अनुसार दिल्ली 'उभरते व्यवसाय पारिस्थितकीय प्रणाली' श्रेणी के अंतर्गत है।

- बीआरएपी के तहत वर्तमान कार्य योजना 2022 में व्यवकाय में सुधार से लेकर नागरिकों तक से संबधित 352 अनुशंसाय हैं। बीआरएपी 2022 के 352 सुधारों को दो भागों में बांटा गया है–

  कार्ययोजना–ए में व्यवसाय संबंधी 261 सुधार हैं

  कार्ययोजना–बी में नागरिकों से संबंधित 91 सुधार हैं।

  बीआरएपीके तहत दिल्ली में लागू प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार है–

  i. दिल्ली – केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (दिल्ली–सीआईएस)

  ii. परिवर्तन प्रक्रिया को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है।

iii. एमसीडी द्वारा स्व प्रमाणन आधार पर दिए जाने वाले अद्यतन डेटा साइनेज लाइसेंस तक रियल टाइम पहुंच के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है।

iv. निर्माण पूरा हो जाने के बाद एकल संयुक्त निरीक्षण।

v. दिल्ली (समयबद्ध सेवा आपूर्ति के लिए आपूर्ति संबंधित नागरिक अधिकार) अधिनियम लागू किए जाने के लिए ईएसएलए तंत्र विकसित किया गया है।

नियामक अनुपालन अनिवार्यताओं को कम से कम करना (आरसी)

कुल 551 अनुपालन कम किए गए हैं, 38 प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया है। दिल्ली में इस संदर्भ में लागू किए गए प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार हैं:

i. उद्यमियों के लिए शीघ्र समाधान– उद्यमियों से संबंधित सेवाएं, लाइसेंस प्राप्त करना जैसे सामान्य व्यापार लाइसेंस, पशु चिकित्सा लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, तहबाजारी और हॉकिंग लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करना सरल बनाया गया है।

ii. ट्रांस्पोटरों के लिए बेहतर सुविधा– लाइसेंस, बस पास और अन्य लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

iii. उपयोगी सेवा प्राप्त करना (सभी नागरिकों और व्यवसायियों) अधिक आसान बनाया गया।

iv. औषधि विक्रेताओं/निर्माताओं–निर्यात संवर्द्धन के लिए स्व प्रमाणन।

18.. पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना लागू की थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/कॉपरेटिव को सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत पांच वर्षों– 2020–21 से 2024–25 के दौरान 10,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना है।

19. स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना

मई 2022 में अनुमोदित दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति की अधिसूचना जारी की जानी है। इस नीति के तहत दिल्ली को भारत और विश्व में स्टार्टअप उद्यमों के सर्वोत्तम गंतव्यों में स्थापित करना है। इन नीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग दिया जाएगा।

शिक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव (विद्युत वाहन, ऑटोनोमस कार और संबंधित वाहन), व्यवसायों और नागरिकों को जोड़ने के लिए ई–प्रशासन, फिनटेक, ई–कचरा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, हरित प्रोद्योगिकी, जैव–फार्मा और चिकित्सा उपकरण, आईटी और आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर एज–ए–सर्विस, जैव प्रोद्योगिकी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, हाइड्रोजन जैसे उभरते ऊर्जा क्षेत्र इत्यादि।

19.1 **बुनियादी ढांचा और सहयोग–** इन्क्यूबेटर हब नेटवर्क, अनुसंधान और विकास केंद्र, फैब्रिकेशन लैब नेटवर्क और सह कार्यक्षेत्र नेटवर्क और एक स्टार्टअप पोर्टल विकसित करना जो दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत जानकारी और प्रोत्साहन मांगने वाले लोगों, स्टार्टअप उद्यमों और इन्क्यूबेटर के लिए एक स्थल पर सहयोग उपलब्ध करा सके।

19.2 **जागरूकता और पहुंच–** दिल्ली सरकार लोगों के बीच उद्यमिता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शहरवार आयोजन जैसे स्टार्टअप उत्सव और हैकेथॉन का आयोजन करती है। स्टार्टअप प्रणाली को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

20. पुनर्विकास के लिए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक क्लसटरों की अधिसूचना

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक क्लस्टर अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

20.1 दिनांक 14–06–2021 को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप नॉन–कंफर्मिंग क्षेत्र में गोदाम–क्लस्टर के पुनर्विकास के लिए मुंडका (उत्तर) को अधिसूचिक किया गया।

20.2 नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां को दिनांक 08–12–2021 को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत शामिल प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया।

अध्याय एक नजर में

- दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, ज्ञान आधारित और हाइटेक आईटी/आईटीईएस उद्योगों के लिए सुचारू माहौल और व्यापार संवर्द्धन के लिए संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- दिल्ली देश में संधारणीय विकास लक्ष्य, नीति आयोग के अनुसार 'एसडीजी इंडिया इन्डेक्स एंड डैश बोर्ड 2021–22' में देश की अग्रिम वाहक श्रेणी में आता है।
- भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) योजना बनाई है।
- रानी खेड़ा–मुंडका में बहु मंजिले इमारतों के साथ 147 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी पार्क की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 13.50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- दिल्ली में व्यापार माहौल में सुधार के कारण विश्वबैंक की कारोबार में आसानी रैंकिंग में भारत 2017 के 130 से छलांग लगाकर 2020 की रैंकिंग में 63वें स्थान पर आ गया है। यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना 2020 में लागू की है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देना है।
- मई 2022 में स्वीकृत दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति अधिसूचित की जानी है। इसका लक्ष्य दिल्ली को भारत और विश्व में स्टार्टअप उद्यमों के स्वोत्तम गंतव्यों में स्थापित करना है।